

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी, रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 127/2023-निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति बनाम 1. देवकीनन्दन / सूर्यनारायण पुरोहित,  
बिजौलियां जिला भीलवाडा निवासी पंचायत चौक, बिजौलियां  
2. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत  
बिजौलियां जिला भीलवाडा  
-निगराकार - गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम  
पट्टा क्रमांक 1413 दिनांक 10.12.2019 निरस्त कराने बाबत

उपस्थित-

1. विभागीय पेरोकार- निगराकार की ओर से



## निर्णय

दिनांक 22.05.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140 के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नहीं किये गये। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पट्टा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लंघना की गयी। जिसमें नक्शा नहीं बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नहीं किया गया, आपत्ति पत्र जारी नहीं किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पट्टा कोरम से अनुमोदित नहीं कराया गया। पट्टे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड क्रय करने बाबत किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 1413 दिनांकित 10.09.2018 को निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 08.09.2023 को दायर की जाकर

24  
अति जिला कलक्टर


विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार बिजौलिया से विपक्षी के नोटिस तामील अदम प्राप्त होकर विपक्षी का फोट होना अंकन किया गया हैं। निगराकार विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया ने विपक्षी के कायम मुकाम मय सम्मन नोटिस पेश नहीं किये हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। जबकि निगराकार की उक्त निगरानी न्यायालय में दिनांक 08.09.2023 से ही पंजीबद्ध चली आ रही है। प्रकरण में काफी समय व्यतीत होने पर भी निगराकार ने विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनायी है। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी अस्वीकार किया जाना न्ययोचित ठहरती हैं। अतएव-

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी विपक्षी के फोट होने से विपक्षी के कायम मुकाम व सम्मन के अभाव में अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी बिजौलिया को प्रेषित की जावे। विकास अधिकारी बिजौलिया विपक्षी के वारिसानों की पूर्ण जांचकर एवं पूर्ण दस्तावेज की जांच कर प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(रतन कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अति. भिलवाड़ा  
भिलवाड़ा